प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 09.08.2026

बैंककर्मी द्वारा विश्वास में लेकर खाता एवं दस्तावेजों का दुरूपयोग करने व धोखाधड़ी करने के आरोप में 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 अदद मोबाईल बरामद

साईबर फ्राड से संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक अपराध के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व निरीक्षक श्यामानन्द राय के नेतृत्व में थाना स्थानीय की टीम व साइबर सेल की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 396/2026 धारा 318(4),61(2) बीएनएस व 66सी/66डी आईटी एक्ट बढ़ोत्तरी धारा 238,317(5) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त 1. हरीश कुमार सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी व पोस्ट बखिरा थाना बखिरा जनपद सन्त कबीर नगर हा0मु0 बन्धक बैंक तारामण्डल जनपद गोरखपुर 2.सुशान्त विश्वकर्मा पुत्र अशोक विश्वकर्मा नि0 341 रायगंज अलहदादपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर व 3. विनय साहनी पुत्र सत्येन्द्र साहनी नि0काली मन्दिर कुड़ाघाट सिघाडिया थाना एम्स जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 04 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण</u> -

वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना दी गयी कि उनके द्वारा बंधन बैक तारामण्डल जनपद गोरखपुर के कर्मचारी/अभियुक्त हरीश कुमार सिंह द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर वर्ष 2023 में अपने फर्म के नाम से बंधन बैंक में खाता खुलवाया गया था। वादी मुकदमा द्वारा उसी वर्ष बैंक के सेवाओं से असंतुष्ट होकर उक्त खाते को बन्द करने हेतु लिखित आवेदन दिया गया था। वर्ष 2025 में अभियुक्त हरिश उपरोक्त द्वारा पुनः बेहतर सेवाएं देने की बात कहकर वादी मुकदमा से उनका दस्तावेज लेकर उनके फर्म के नाम का खाता खोला गया तथा खाता संख्या आदि की जानकारी ह्वाट्सएप पर भेजा गया। अप्रैल 2026 में वादी मुकदमा ने वाहन खरीदने के लिए ऋण की जानकारी हेतु अभियुक्त हरीश उपरोक्त से बात की तो उनके द्वारा वादी मुकदमा का आधार, पैन आदि जरूरी दस्तावेज मांगा गया, इएमआई अत्यधिक होने के कारण वादी मुकदमा ने वाहन नहीं खरीदा। मई 2026 में अभियुक्त हरीश वादी मुकदमा के पास आए एवं उनकी बिना जानकारी के वादी मुकदमा का सिम कार्ड ले गये जो पूर्व में खुलवाये गये खाते (वर्ष 2023 में) से संबद्ध था तथा बाद में ह्वाट्सएप पर इसकी जानकारी वादी मुकदमा को दिए। दिनांक 27.06.2026 को वादी मुकदमा को राजस्थान से उनके खाते से अवैध वित्तीय लेन-देन के संबंध में जानकारी दी गयी तथा अपना पक्ष रखने हेतु राजस्थान बुलाया गया। राजस्थान में ज्ञात हुआ कि वादी मुकदमा के खाते में करीब 75 लाख रूपये की अवैध धनराशि प्राप्त हुई थी जिसे विभिन्न बैंक खातो में भेजा गया था। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-</u>

1. हरीश कुमार सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी व पोस्ट बखिरा थाना बखिरा जनपद सन्त कबीर नगर हा0मु0 बन्धक बैंक तारामण्डल जनपद गोरखपुर
2.सुशान्त विश्वकर्मा पुत्र अशोक विश्वकर्मा नि0 341 रायगंज अलहदादपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. विनय साहनी पुत्र सत्येन्द्र साहनी नि0काली मन्दिर कुड़ाघाट सिघाडिया थाना एम्स जनपद गोरखपुर

बरामदगी –
04 अदद मोबाईल फोन

गिरफ्तारी की टीम-
1.निरीक्षक श्यामानन्द राय थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 मनोज प्रजापति थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3.उ0नि0 कुश कुमार राय थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
4. हे0का0 शशिकांत जायसवाल साइबर सेल जनपद गोरखपुर
5. आरक्षी पंकज कुमार गुप्ता साइबर सेल जनपद गोरखपुर
6. का0 अखिलेश कुमार यादव थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर